



डीबीटी से महिलाओं को मिला आर्थिक सशक्तीकरण, 'मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना' की लाभार्थियों ने की सराहना



चंडीगढ़, 17 अक्टूबर। पंजाब में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए खनन एवं भू-विज्ञान विभाग ने पठानकोट, कपूरथला और श्री आनंदपुर साहिब में चार अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की। इन कार्रवाइयों के दौरान कई टिप्पर, पोकलेन मशीनें और ट्रैक्टर जब्त किए गए। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक स्टोन क्रशर मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार अवैध खनन पर रोक लगाने और सरकारी खजाने को नुकसान से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मंत्री ने बताया कि पठानकोट जिले के गांव जसवां स्थित क्रशर जोन में देर रात जांच के दौरान त्रेहन स्टोन क्रशर से एक पोकलेन मशीन और लगभग 400 क्यूबिक फुट बजरी से भरा बिना नंबर का टिप्पर बरामद किया गया।

हरियाणा सरकार के दो साल पूरे, 217 संकल्पों में से 76 पूरे: नायब सिंह सैनी



चंडीगढ़, 17 अक्टूबर। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि संकल्प-पत्र में शामिल 217 संकल्पों में से 76 को दो वर्षों में पूरा किया जा चुका है, जबकि 141 पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए हरियाणा को विकास के नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 2.80 करोड़ नागरिकों का आभार जताते हुए कहा कि जनता ने सरकार को सेवा की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे पूरी निष्ठा और जवाबदेही के साथ निभाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की राजनीति सत्ता हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि जनता की सेवा के लिए है।

खरड़ की बंगाला बस्ती में बच्चों को नशे से दूर रखने की पहल, शिक्षा के लिए प्रशासन ने बढ़ाया हौसला



खरड़, 17 अक्टूबर। नशे की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को सुरक्षित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ाने और परिवारों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से खरड़ उपमंडल प्रशासन ने बंगाला बस्ती में विशेष पहल की। नशे के हॉटस्पॉट के रूप में पहचाने गए इस क्षेत्र में अधिकारियों ने बच्चों का मनोबल बढ़ाया और अभिभावकों से उन्हें नशे से दूर रखने तथा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने की अपील की। इस दौरान बच्चों को स्कूल बैग, पुस्तकें और स्टेशनरी भी वितरित की गई।

कार्यक्रम में एसडीएम खरड़ गुरमीत सिंह, पीसीएस, और डीएसपी खरड़-1 ईशान सिंगला, पीपीएस, ने क्षेत्रवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को सही दिशा देना और उन्हें शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराना परिवार तथा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने

अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने और उनकी गतिविधियों के प्रति जागरूक रहने का आग्रह किया।

अधिकारियों ने कहा कि बच्चों को सकारात्मक माहौल, शिक्षा और उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखने में मदद की जा सकती है। परिवारों को चाहिए कि वे बच्चों की जरूरतों को समझें, उनकी समस्याओं को सुनें और पढ़ाई के प्रति उनका उत्साह बनाए रखें। शिक्षा न केवल बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने का माध्यम है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस पहल के तहत बच्चों को स्कूल बैग, पुस्तकें और स्टेशनरी वितरित की गई। अधिकारियों ने बच्चों से पढ़ाई में नियमित रहने, अपने लक्ष्य निर्धारित करने और भविष्य के लिए सकारात्मक सोच विकसित करने का

आह्वान किया। शैक्षणिक सामग्री के वितरण का उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना और उनके भीतर आत्मविश्वास बढ़ाना रहा।

एसडीएम गुरमीत सिंह और डीएसपी ईशान सिंगला ने क्षेत्रवासियों से एकजुट होकर बंगाला बस्ती को नशे की समस्या से मुक्त बनाने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र पर लगे नशे के हॉटस्पॉट के दाग को मिटाने के लिए पुलिस, प्रशासन, परिवारों और स्थानीय निवासियों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

अधिकारियों ने लोगों से आग्रह किया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा क्षेत्र में नशीले पदार्थों की आपूर्ति किए जाने की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस या नागरिक प्रशासन को दी जाए।

पंजाब में गैंगस्टरों के ठिकानों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 500 जगह छापेमारी; 175 गिरफ्तार

चंडीगढ़, 17 अक्टूबर। पंजाब को गैंगस्टर और नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से पंजाब पुलिस ने राज्यभर में चलाए जा रहे विशेष अभियानों के तहत कार्रवाई तेज कर दी है। 'गैंगस्टरों ते वार' अभियान के 270वें दिन पुलिस टीमों ने गैंगस्टरों के सहयोगियों के रूप में चिन्हित 500 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान एक हथियार सहित 175 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि नौ भगोड़े अपराधियों को भी काबू किया गया। इसके अलावा 171 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई।

पुलिस के अनुसार, इस अभियान की शुरुआत पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने 20 जनवरी 2026 को की थी। विभिन्न जिलों की पुलिस टीमों एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ), पंजाब के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई कर रही हैं। अभियान शुरू होने से अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 79,018 तक पहुंच गई है।

पंजाब पुलिस ने आम लोगों से गैंगस्टरों और वांछित अपराधियों के बारे में जानकारी साझा करने की अपील की है। इसके लिए 'एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन' नंबर 93946-93946 जारी किया गया है। पुलिस के मुताबिक, नागरिक इस नंबर के माध्यम से गोपनीय रूप से जानकारी दे सकते हैं और आपराधिक

गतिविधियों की सूचना भी साझा कर सकते हैं।

दूसरी ओर, 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान के 595वें दिन पुलिस ने राज्यभर में 122 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 2.2 किलोग्राम हेरोइन, 7.2 किलोग्राम अफीम, 225 किलोग्राम भुक्की (पोस्ट),



6,622 नशीली गोलियां और 2,000 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

पुलिस के अनुसार, नशा विरोधी अभियान के पिछले 595 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल तस्करों की संख्या बढ़कर 86,091 हो गई है। कार्रवाई के साथ-साथ नशा मुक्ति और पुनर्वास पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को 23 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और

उपचार एवं पुनर्वास सेवाएं लेने के लिए प्रेरित किया गया।

पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया कि गैंगस्टर नेटवर्क और नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस का लक्ष्य अपराधियों पर शिकंजा कसने के साथ-साथ युवाओं को नशे से दूर रखना और राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करना है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, 'गैंगस्टरों ते वार' अभियान के तहत कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य गैंगस्टरों के नेटवर्क को कमजोर करना और उनके सहयोगियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। इसके लिए संदिग्ध ठिकानों की पहचान कर विभिन्न जिलों में एक साथ छापेमारी की जा रही है।

अभियान के दौरान पुलिस टीमों स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं और खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई कर रही हैं। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स के साथ समन्वय से चलाए जा रहे इस अभियान में विभिन्न जिलों की पुलिस को शामिल किया गया है।

पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से संबंधित मामलों की जांच की जा रही है, ताकि उनके संभावित आपराधिक संपर्कों और गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके।

पंजाब की चार स्वच्छ वायु पहले राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित, CPCB की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों में शामिल



चंडीगढ़/पटियाला, 17 अक्टूबर। पंजाब में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) की चार पहलें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी), 2026 के तहत जारी सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के संकलन में शामिल की गई हैं। इनमें मिशन क्लीन पटियाला, पटियाला के पारंपरिक श्मशानघाट में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण की स्थापना, मंडी गोबिंदगढ़ का गैस आधारित श्मशानघाट और गोबिंदगढ़ का बायो-मीथेनेशन प्लांट शामिल हैं।

इन पहलों को मिली मान्यता प्रदूषण नियंत्रण के लिए तकनीकी समाधानों, जनभागीदारी और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन को एक साथ आगे बढ़ाने के पंजाब के प्रयासों को दर्शाती है। इनका उद्देश्य प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों की पहचान कर स्थानीय स्तर पर प्रभावी उपाय लागू करना है।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जिला प्रशासन और नगर निगम पटियाला के सहयोग से मिशन क्लीन पटियाला शुरू किया था। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (सीएसटीडीपी) के सहयोग से विकसित इस पहल में शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी विभागों, संगठनों और स्थानीय नागरिकों को जोड़ा गया है।

अभियान के तहत नियमित सड़क सफाई, जमा कचरे को हटाने, खुले में कचरा जलाने पर रोक लगाने और जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया जाता है। इससे धूल और कचरा जलाने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है। पहल का लक्ष्य स्वच्छता को नियमित नागरिक व्यवहार का हिस्सा बनाना है।

पटियाला के लकड़ी आधारित पारंपरिक श्मशानघाट में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (एपीसीडी) लगाया गया है। एनसीएपी के तहत पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य अंतिम संस्कार के दौरान उत्पन्न होने वाले कणीय प्रदूषण को कम करना है।

TruSoft

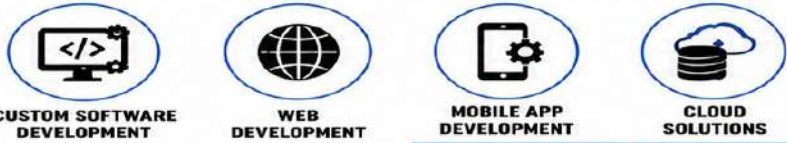
GST ACCOUNTING SOFTWARE WITH INVENTORY CONTROLS

ERP

Software that touches every part of your business.

SOFTWARE & WEB DEVELOPMENT

"Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works."



Software for Manufacturers, Traders, Dealers/Distributors

ALSO FOR:

Clinical Labs, Schools, Drycleaners, Transportation, Pharmaceuticals, Library, Non Banking/Finance, Weighing Scales, Institutes, Readymade Garments, Dairies, Cold Storage, Hotels, Restaurants, Apparels, Footwear, Shuttering, Sabzi Mandi

www.trusofterp.com

support@trusofterp.com

Smart Solutions. Stronger Businesses

Advertisement



- ACCURATE ACCOUNTING
- INVENTORY CONTROLS
- GST COMPLIANCE
- SIMPLE & SECURE
- RELIABLE SUPPORT

CALL US TODAY!

+91-9041012531



चंडीगढ़ में 30 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती पर उठे सवाल, HKRN की तर्ज पर सरकारी एजेंसी बनाने की मांग



चंडीगढ़, 17 अक्टूबर 2026। चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती तथा वेतन भुगतान में कथित करोड़ों रुपये की अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाई के बाद मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा, यूटी एवं एमसी चंडीगढ़ ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी केंद्रीकृत सरकारी एजेंसी गठित करने की मांग की है। मोर्चा के अनुसार, इससे लगभग 30 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और उनके वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

मोर्चा के कन्वीनरों गोपाल दत्त जोशी, सुरमुख सिंह, सुखबीर सिंह, रंजीत हंस और विपिन शेर सिंह ने संयुक्त बयान में कहा कि निजी ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती होने के कारण कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनमें वेतन में कथित कटौती, भुगतान में देरी और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) तथा कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) से संबंधित समस्याएं शामिल हैं।

मोर्चा ने मांग की कि आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती और वेतन भुगतान की व्यवस्था को सरकारी निगरानी में लाया जाए तथा निजी ठेकेदारों की मध्यस्थता समाप्त की जाए। कर्मचारियों को सरकारी व्यवस्था के तहत डीसी रेट पर नियोजित करने की मांग भी उठाई गई है। मोर्चा का कहना है कि केंद्रीकृत एजेंसी बनने से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और कर्मचारियों को निर्धारित वेतन तथा अन्य वैधानिक लाभ समय पर मिल सकेंगे।

कर्मचारी नेताओं ने यह भी मांग की कि भर्ती और वेतन भुगतान में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की जाए तथा जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।

संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ने चंडीगढ़ प्रशासन से इस मांग पर जल्द ठोस निर्णय लेने की अपील की है। मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि एचकेआरएन की तर्ज पर केंद्रीकृत सरकारी एजेंसी गठित करने की दिशा में शीघ्र कदम नहीं उठाए गए, तो संबंधित

कर्मचारियों को संगठित कर लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा।

मोर्चा के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि आउटसोर्स कर्मचारियों के अधिकारों, सम्मान, रोजगार की सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से ऐसी व्यवस्था बनाने का आग्रह किया, जिसमें कर्मचारियों को बिचौलियों पर निर्भर न रहना पड़े और उनके वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ सुनिश्चित हों।

जारीकर्ता: गोपाल दत्त जोशी, सुरमुख सिंह, सुखबीर सिंह, रंजीत हंस एवं विपिन शेर सिंह, कन्वीनर, संयुक्त कर्मचारी मोर्चा, यूटी एवं एमसी चंडीगढ़।संपर्क: 8054021012, 9646553598, 7307125666

मानसिक स्वास्थ्य संस्थान-32 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया, शिक्षा और पुनर्वास के लिए ‘एस्पायर’ कार्यक्रम शुरू

चंडीगढ़, 17 अक्टूबर। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने, सामाजिक भेदभाव दूर करने और मानसिक बीमारी से प्रभावित लोगों को शिक्षा एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एमएचआई), सेक्टर-32, चंडीगढ़ में शनिवार को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2026 मनाया गया। संस्थान ने एनजीओ परिवर्तन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में मानसिक बीमारी से प्रभावित व्यक्तियों, उनके देखभालकर्ताओं, विशेषज्ञों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर शिक्षा और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए ‘एस्पायर’ कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

कार्यक्रम का शुभारंभ मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के अतिरिक्त निदेशक और एनजीओ परिवर्तन के अध्यक्ष डॉ. अजीत सिडाना के स्वागत संबोधन से हुआ। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और पुनर्वास के क्षेत्र में संस्थान, हाफवे होम तथा एनजीओ परिवर्तन के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गंभीर मानसिक बीमारी का प्रभाव केवल संबंधित व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवार और देखभालकर्ताओं को भी मानसिक तनाव तथा शारीरिक थकान जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रो. रवनीत कौर, निदेशक-प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल (जीएमसीएच), चंडीगढ़ तथा निदेशक, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति समाज में जागरूकता, समझ और स्वीकार्यता बढ़ाना



आवश्यक है। उन्होंने मानसिक बीमारी से प्रभावित लोगों को सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर दिया।

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण एकेडमिक सपोर्ट प्रोग्राम फॉर इंटीग्रेशन, रिकवरी एंड एजुकेशन (ASPIRE) का शुभारंभ रहा। इसका उद्देश्य मानसिक बीमारी से प्रभावित व्यक्तियों को मुख्यधारा की शिक्षा में दोबारा शामिल होने के लिए तैयार करना और आगे चलकर रोजगार के अवसर प्राप्त करने में

सहायता देना है।

इस कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को शैक्षणिक मार्गदर्शन दिया जाएगा। उन्हें अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करने या जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए दूरस्थ शिक्षा और ओपन स्कूल प्रणाली के माध्यम से भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों को सहयोग देने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।

प्रो. रवनीत कौर ने बताया कि एस्पायर कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, सेक्टर-32 में मार्गदर्शन और हस्तक्षेप सेवाएं उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम में नामांकित मरीज शैक्षणिक तैयारी के लिए प्रतिदिन संस्थान की डिसेबिलिटी असेसमेंट, रिहैबिलिटेशन एंड ट्रायेज (DART) सेवाओं का लाभ भी ले सकते हैं।

उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल मानसिक बीमारी से प्रभावित लोगों को आत्मनिर्भर बनाने, शिक्षा तक उनकी पहुंच बढ़ाने और सामाजिक भागीदारी मजबूत करने में सहायक होगी। साथ ही, जरूरतमंदों तक कल्याणकारी योजनाओं, कानूनी सहायता और सामाजिक सहयोग पहुंचाने पर भी जोर दिया गया।

कार्यक्रम में मानसिक बीमारी से प्रभावित प्रतिभागियों ने गायन, नृत्य, कविता पाठ और लघु नाटिका प्रस्तुत की। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से आत्म-अभिव्यक्ति, सामाजिक समावेश और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का संदेश दिया गया।

कार्यक्रम का संचालन डॉ. शिवांगी और डॉ. अपराजिता लोबाना ने किया। अंत में एनजीओ परिवर्तन की महासचिव डॉ. शिखा त्यागी ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। आयोजन ने यह संदेश दिया कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में उपचार के साथ शिक्षा, पुनर्वास, सामाजिक स्वीकार्यता और रोजगार के अवसर भी महत्वपूर्ण

मनीमाजरा में बटनदार चाकू के साथ 30 वर्षीय युवक गिरफ्तार, अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा

चंडीगढ़, 17 अक्टूबर 2026। मनीमाजरा थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में कार्रवाई करते हुए 30 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बटन दबाकर खुलने वाला फोल्डेबल कमानीदार चाकू बरामद किया। आरोपी की पहचान दीपक उर्फ अवेसम, पुत्र रमेश कुमार, निवासी न्यू इंद्रा कॉलोनी, मनीमाजरा, चंडीगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई 16 अक्टूबर 2026 को की गई। मनीमाजरा थाना पुलिस की टीम एएसआई गुरविंदर सिंह के नेतृत्व में क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने दीपक उर्फ अवेसम को काबू किया। इसके बाद नियमानुसार उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके कब्जे से एक बटन से खुलने वाला फोल्डेबल कमानीदार चाकू बरामद हुआ।

पुलिस के अनुसार, चाकू बरामद होने के बाद आरोपी से उसे अपने पास रखने के संबंध में वैध लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। हालांकि, आरोपी हथियार रखने की अनुमति से संबंधित कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने चाकू को अपने कब्जे में लेकर जब्त कर लिया और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की।

पुलिस ने इस संबंध में मनीमाजरा थाने में एफआईआर नंबर 111 दर्ज की। यह मामला 16 अक्टूबर 2026 को भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 54 और 59 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी को कानून के प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।

अदालत में पेशी के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस मामले से संबंधित आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रही है। बरामद चाकू को जांच के लिए जब्त किया गया है और मामले में नियमानुसार आगे की

कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध हथियार रखने के



मामलों को लेकर एक बार फिर सतर्कता का मुद्दा सामने आया है। पुलिस की ओर से मामले में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बरामदगी: एक बटन से खुलने वाला फोल्डेबल कमानीदार चाकू।मामले का विवरण: एफआईआर नंबर 111, दिनांक 16 अक्टूबर 2026, थाना मनीमाजरा, चंडीगढ़।

चंडीगढ़, 17 अक्टूबर। मनीमाजरा थाना पुलिस ने 30 वर्षीय

दीपक उर्फ अवेसम को कथित तौर पर अवैध रूप से चाकू रखने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी न्यू इंद्रा कॉलोनी, मनीमाजरा का निवासी है। उसके

जब्त कर लिया गया और उसके खिलाफ भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 54 और 59 के तहत एफआईआर नंबर 111 दर्ज की गई।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, बरामदगी 16 अक्टूबर को हुई और आरोपी लाइसेंस या परमिट नहीं दिखा सका। एफआईआर में दर्ज धाराएं और बरामदगी का विवरण मामले से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। हालांकि, इन आरोपों पर अदालत का अंतिम निर्णय अभी सामने नहीं आया है।

मामले में बरामद चाकू की प्रकृति, उसकी जब्ती से संबंधित दस्तावेज और लागू कानूनी प्रावधान जांच के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इनका आकलन उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

आरोपी के खिलाफ दर्ज मामला पुलिस की ओर से लगाए गए आरोपों पर आधारित है। गिरफ्तारी या एफआईआर दर्ज होना अपने आप में अपराध सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। मामले में अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही निकलेगा।

मामले का विवरण: एफआईआर नंबर 111, दिनांक 16 अक्टूबर 2026, थाना मनीमाजरा, चंडीगढ़।बरामदगी: पुलिस के अनुसार, एक बटन से खुलने वाला फोल्डेबल कमानीदार चाकू।

कब्जे से बटन दबाकर खुलने वाला फोल्डेबल कमानीदार चाकू बरामद किया गया। अदालत में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, 16 अक्टूबर को एएसआई गुरविंदर सिंह के नेतृत्व में टीम क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। इसी दौरान आरोपी को काबू कर उसकी तलाशी ली गई। पुलिस ने तलाशी में चाकू मिलने का दावा किया है।

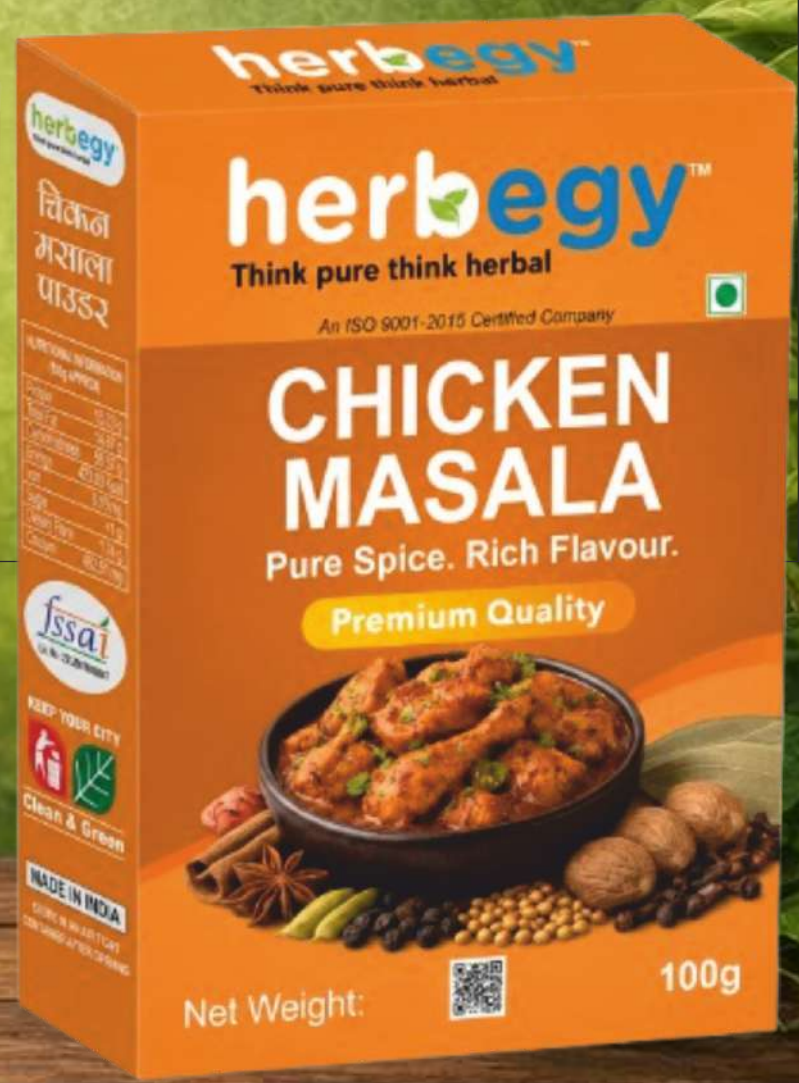
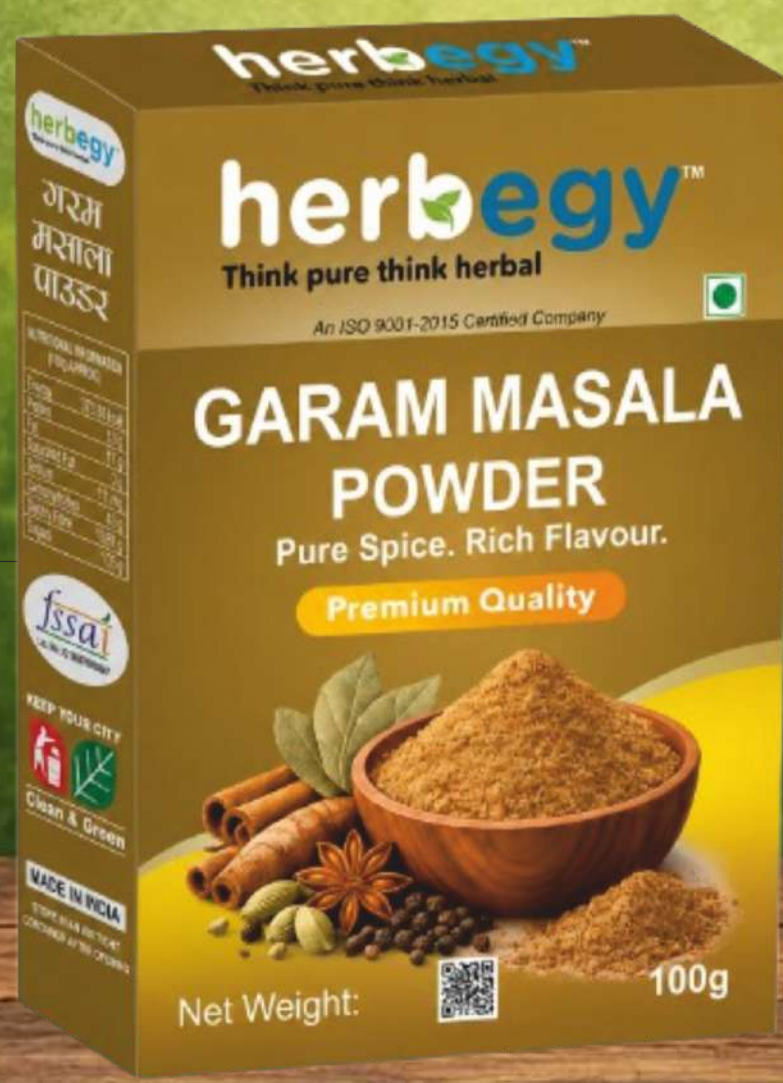
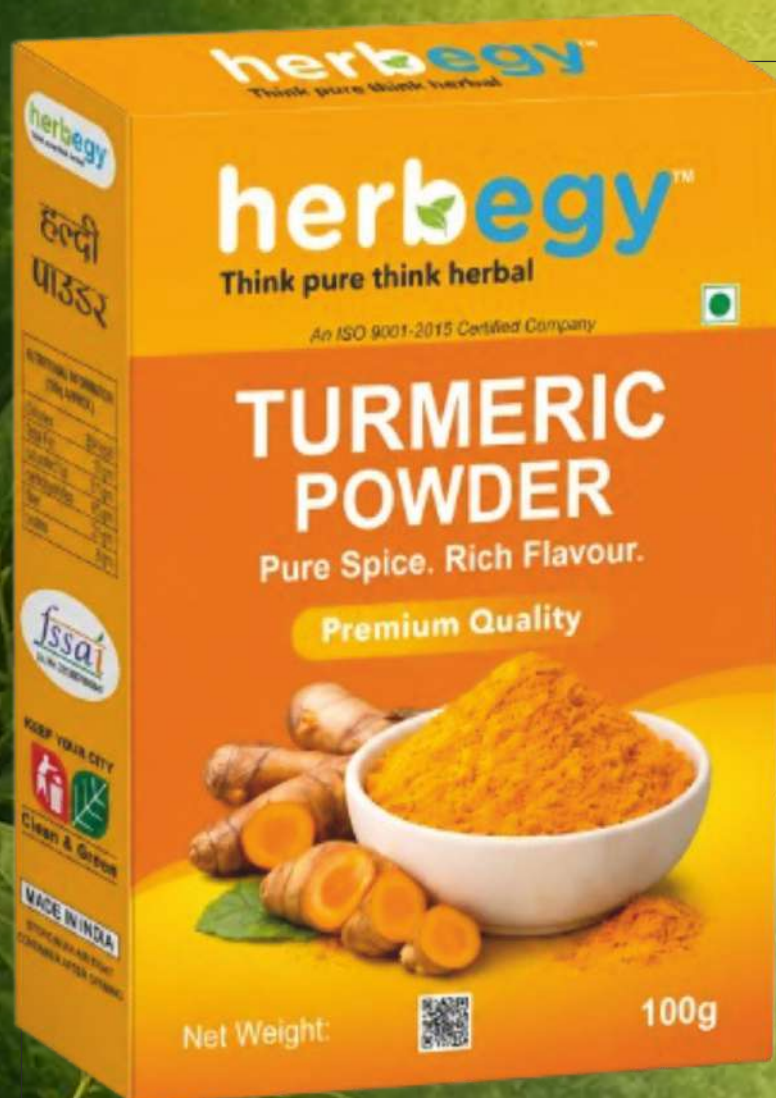
पुलिस का कहना है कि आरोपी चाकू रखने के संबंध में वैध लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद चाकू

herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.



PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY